ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) "नूरपुर" जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 9/2005 से 3/2014

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.2005 के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों की परिवहन से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी "नूरपुर" की परिवहन से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधि के अवधि 9/2005 से 3/2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री मुकेश कुमार स्नेही व आर्टिकल सहायक श्री भवनीश पुरी द्वारा दिनाँक 22.09.14 से 13.10.14 के दौरान नूरपुर में किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नूरपुर का गठन, सभायें पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम 1973) के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 4121/2004 के अन्तर्गत हुआ।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	7	राजकीय कोष में राशि का कम जमा करवाया जाना	2.25
2	8	केन्द्रीय पूल में राशि कम जमा करना	2.25
3	9	हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के साथ जारी किए जा रहे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु सेवा शुल्क की राशि वसूली न करना	12.79
4	11	राशि का अनियमित व्यय	0.57
5	13	कुमारी सुमन को बकाया वेतन के रूप में राशि का अधिक भुगतान करना	0.29

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष व सचिव के पद पर कार्यरत्त रहेः–

नाम	पदनाम	अवधि
सर्वश्री भरत खेरा	अध्यक्ष व मुख्य प्रशासक	3.09.05 से 6.09.07
अश्वनी कपूर	अध्यक्ष व मुख्य प्रशासक	6.09.07 से 18.01.08
कमलेश पत	अध्यक्ष व मुख्य प्रशासक	19.01.08 से 2.06.09
आर0एस0 गुप्ता	अध्यक्ष व मुख्य प्रशासक	04.06.09 से 31.05.12
के0आर0 गुप्ता	अध्यक्ष व मुख्य प्रशासक	01.06.12 से 04.01.13
सी0 पालरासु	अध्यक्ष व मुख्य प्रशासक	04.01.13 से लगातार
एन0के0 लठ	सचिव एवं प्रशासक	14.05.03 से 16.04.07
आई0एस0 भारद्वाज	सचिव एवं प्रशासक	18.04.07 से 01.11.10
एस0के0 शर्मा	सचिव एवं प्रशासक	16.11.10 से 10.10.11
राकेश वर्मा	सचिव एवं प्रशासक	10.10.11 से 15.05.13
अश्वनी कुमार	सचिव एवं प्रशासक	15.05.13 से लगतार

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 10/05, 11/06, 11/07, 3/09, 3/10, 6/10, 3/12, 5/12 व 1/14 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/06, 8/06, 5/07, 7/08, 4/09, 4/10, 10/11, 7/12 व 3/14 को चयन किया गया।

उक्त अंकेक्षण ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा प्रदान की गई सूचना व अभिलेख के आधार पर अंकेक्षण पर अंकेक्षण किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान की गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नूरपुर के अवधि 9/05 से 3/14 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर कुल ₹12700/– आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या एम0के0 (काँगड़ा–वृत) 2014/263 दिनाँक 13.10.14 द्वारा उप–मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नूरपुर से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नूरपुर द्वारा परिवहन से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ/सेवायें भी प्रदान की जा रही है जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र इत्यादि जारी करना तथा इन सभी सेवाओं को प्रदान करने पर प्राप्त सेवा शुल्क का इकटठा एक ही रोकड़ में ईन्द्राज किया गया। इसके अतिरिक्त इन समस्त गतिविधियों से प्राप्त आय में से पूरा व्यय भी एक ही खाते से किया गया है। परिणामस्वरूप ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों की अलग से वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की गई अपितु सोसाईटी द्वारा अपनी समस्त गतिविधियों की समांकित वित्तीय स्थिति तैयार की गई है जोकि **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि की तथा इसके पश्चात परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके परिवहन से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधि की अलग से वित्तीय स्थिति तैयार की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4 बचत खाते से प्राप्त ब्याज की ₹9905/– को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक पास बुक के मिलान के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा दिनाँक 31.03.14 तक बचत खाते से सम्बन्धित ब्याज की ₹9905/– को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में सोसाईटी की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त ब्याज की राशि की

संस्था स्तर पर जाँच करके इसकी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में की जाए तथा भविष्य में समय–2 पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

5 रोकड़ बही/लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या–टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित है परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का निर्माण सही ढ़ंग से किया गया है और न ही लेजर बनाए गए है। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet भी तैयार नहीं की गई है। अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 2.1.14 को रोकड़ बही के पृष्ठ 74 पर योग में ₹10000 कम ली गई तथा दिनाँक 13.2.14 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 84 पर योग में ₹2915/–अधिक ली गई। इस प्रकार रोकड़ में योग में कुल ₹10000–₹2915 कम ली गई थी जिसे अंकेक्षण के पश्चात 20.9.14 को ठीक कर दिया गया। उक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि सोसाईटी द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही में अन्तशेष का मासिक विवरण भी नहीं दिया गया है। रोकड़ बही में पाई गई उक्त अनियमितता को उप–मण्डल (ना0) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना संख्या 262 दिनाँक 13.10.14 द्वारा लाया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय तथा माह के दौरान किए गए कुल व्यय के विवरण उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए। रोकड़ बही के शेष का बैंक के शेष से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष नियमानुसार सोसाईटी की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet भी तैयार की जाए।

6 निवेशः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नूरपुर द्वारा दिनाँक 31.03.14 तक ₹1426094/– का सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश किया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

निवेश की तिथि	अवधि	निवेशित राशि	तिथि	परिपक्व राशि
21.06.13	555 दिन	926094	27.12.14	1060191
25.10.12	555 दिन	500000	3.05.14	572540
	योग	**1426094**		

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नूरपुर द्वारा रोकड़ बही में उक्त सावधि जमा में निवेशित राशि में से केवल ₹1300000 दर्ज की गई जबकि सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की ₹126094 / – को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अर्जित ब्याज को भी रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

7 राजकीय कोष में ₹225329 / – कम जमा करवाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3 / 2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.9.05 के पैरा 3 (बी) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25**%** भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षणाधीन अवधि 3.09.05 से 31.3.14 के दौरान सोसाईटी द्वारा सेवा शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार कुल ₹7410522 / – की वसूली की गई थी जिसके 25**%** भाग के रूप में ₹1852630 / – राजकीय कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार केवल मात्र ₹1627301 / – ही राजकीय कोष में जमा करवाई गई है।

क्र0सं0	चालान संख्या व दिनाँक	राशि
1	22 दिनाँक 21.05.08	325002
2	2 दिनाँक 23.08.08	23888
3	27 दिनाँक 3.02.09	104207
4	64 दिनाँक 9.04.09	33435
5	42 दिनाँक 21.4.10	227480
6	31 दिनाँक 15.10.10	133915
7	178 दिनाँक 29.4.11	110885
8	61 दिनाँक 14.10.11	123100
9	15 दिनाँक 17.7.12	128800
10	10 दिनाँक 19.01.13	128130
11	26 दिनाँक 19.7.13	136135
12	11 दिनाँक 12.3.14	152324
	योग	**1627301**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार सोसाईटी द्वारा राजकीय कोष में ₹1852630–₹1627301=₹225329 / – कम जमा करवाई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अविलम्ब कम जमा करवाई गई राशि को राजकीय कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार ही राजकीय कोष में राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सोसाईटी द्वारा वसूली गई राशियों

को समय पर राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया जा रहा है जबकि शुल्क की वसूली को वसूली वाले दिन या अगले कार्य दिवस राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था, परन्तु सोसाईटी द्वारा इनकी पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में वसूली की गई राशियों को नियमानुसार समय पर राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 केन्द्रीय पूल में ₹225329/– कम जमा करने बारेः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की दिनाँक 24.04.08 की बैठक की मद संख्या 6.9 के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की कुल वसलियों का 25**%** भाग केन्द्रीय पूल में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षणाधीन अवधि 3.9.05 से 31.03.14 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹7410522/– की वसूली की गई थी जिसका 25**%** भाग ₹1852630/– केन्द्रीय पूल जिलाधीश काँगड़ा के पास जमा करवाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार केवल मात्र ₹1627301/– ही केन्द्रीय पूल में जमा करवाई गई।

क्र0सं0	**चालान संख्या व दिनाँक**	**राशि**
1	213536 दिनाँक 4.07.08	348890
2	213566 दिनाँक 8.04.09	137642
3	179731 दिनाँक 19.04.10	227480
4	179764 दिनाँक 14.10.10	133915
5	179795 दिनाँक 29.04.11	110885
6	760210 दिनाँक 10.10.11	123100
7	760239 दिनाँक 15.07.12	128800
8	760261 दिनाँक 17.01.13	128130
9	760283 दिनाँक 12.07.13	136135
10	267611 दिनाँक 12.03.14	152324
	योग	**1627301**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार सोसाईटी द्वारा केन्द्रीय पूल में ₹1852630–₹1627301= ₹225329/– कम जमा करवाई जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा अविलम्ब कम जमा करवाई गई राशि को केन्द्रीय पूल में जमा करवाए जाए व भविष्य में भी नियमानुसार समय पर ही केन्द्रीय पूल में राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

9 हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के साथ जारी किए जा रहे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु सेवा शुल्क की ₹1279000/– वसूली न करने बारेः–

चर्चा के दौरान अंकेक्षण दल को बताया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी नूरपुर द्वारा वाहनों के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का सेवा शुल्क प्रति वाहन ₹100/–

निर्धारित किया गया था। अभिलेख की जाँच व उपलब्ध सूचना के आधार पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट बदलने हेतु माह 3/14 तक कुल ₹12790 पुराने वाहनों को नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए परन्तु उनसे सेवा शुल्क की वसूली नहीं की गई। इस प्रकार (12790X100=₹1279000/–) की वसूली नहीं की गई। इस विषय पर अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 261 दिनाँक 13.10.14 द्वारा सचिव, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर से उठाया गया, परन्तु उनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नही ंदिया गया। अतः हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट बदलने हेतु सेवा शुल्क के रूप ₹1279000/– की वसूली न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस प्रकरण में संस्था स्तर पर जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 कोटशनों के आधार पर खरीद न करने बारेः–

एच0पी0एफ0आर0 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक की खरीद तथा इनमें पूर्व ₹1000 से अधिक की खरीद कुटेशनों के आधार पर की जानी अपेक्षित थी परन्तु सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार खरीद कुटेशनों के आधार पर नहीं की गई है। उक्त के अभाव में आडिट द्वारा भुगतान की गई दरों की न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः बिना कुटेशनों के खरीद करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उक्त अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	दिनाँक	फर्म का नाम	विवरण	राशि
21 व 22	21.08.06	मै0 चौधरी प्यारे लाल एण्ड सन्ज पठानकोट	रिवालविंग कुर्सी कम्पयूटर कुर्सी टेबल	22503
1	1.07.08	मै0 पिंकी फर्नीचर ई0 छतरोली नूरपुर	सोफा सैट की मुरम्मत	3405
2	1.07.08	मै0 कुनाल प्रिटिंग प्रैस धर्मशाला	आर0सी0 एवं फिटनेस प्रमाण पत्र	7254
3	1.07.08	मै0 विंटस एण्ड वाईरस इनफोटेक जसूर	रिम, गलोसी पेपर शीट	4763
2	20.04.09	मै0 कुनाल प्रिटिंग प्रैस धर्मशाला	आर0सी0 व फिटनेस प्रमाण पत्र	17452
4	19.04.10	मै0 विटस एण्ड वाईरस इन्फोटेक जसूर	कम्पयूटर INK, Cartage	4119
2	11.07.12	नेटवर्क सोल्यूशन पठानकोट	स्टेशनरी	16700
9	18.03.14	–यथोपरि–	–यथोपरि–	11900

11 ₹57996/– का अनियमित व्यय करनाः–

सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार किया गया व्यय प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के अनुच्छेद 3 (बी) के अनुसार इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि को इस निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

फर्म का नाम	विवरण	वा0/बिल नं0	दिनाँक	राशि
मै0 चौधरी प्यारे लाल एण्उ सन्ज पठानकोट	एस0डी0एम0 आवास के लिए टेबल	22	21.8.06	5296
मै0 टेक चन्द एण्ड सन्ज नुरपुर	1 वाटर कूलर	8378 बिल नं0	18.7.09	23700
मै0 कुलदीप इन्टरप्राईजिज जसूर	एस0डी0एम0 आवास हेतु 1 ए0सी0	25710 बिल नं0	6.06.13	29000
			योग	**₹57996**

12 खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने बारेः–

जाँच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नलिखित सामान इस निधि से खरीदा गया, परन्तु खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान की प्राप्ति को सत्यापित करके आवश्यक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में की जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच भी संस्था स्त्तर पर की जाए तथा तदानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

फर्म का नाम	विवरण	वा0/बिल सं0	दिनाँक	राशि
मै0 डीलक्स ई0 नूरपुर	दो अलमारी	02	06.03.06	7734
मै0 प्यारे लाल एण्ड सन्ज	1 रिवालविंग कुर्सी 3 कम्पयूटर कुर्सी 1 आफिस टेबल	21 व 22	21.08.06	22503
मै0 सुपर स्टील ई0 जसूर	2 स्टील अलमारी	3	13.04.09	8112
मै0 टेक चन्द एण्ड सन्ज नूरपुर	1 वाटर कूलर	8373	18.07.09	23700

13 कुमारी सुमन को बकाया वेतन के रूप में ₹29370 का अधिक भुगतान बारेः–

जाँच में पाया गया कि कुमारी सुमन, को ई–गवर्नेन्स सोसाईटी में डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर (अनुबन्ध आधार) पर नियुक्त किया गया था। जिलाधीश काँगड़ा के आदेश संख्या

964 एल0जी0–29 दिनाँक 25.11.10 द्वारा उक्त कर्मचारी को उक्त पद से कम्पयूटर आपरेटर (अनुबन्ध) के पद पर स्त्तरोन्नत (upgrade) किया गया। उक्त कर्मचारी को अवधि 6.2.08 से 31.1.11 के लिए बकाया वेतन (Arrear) के रूप में ₹36330/–का भुगतान किया गया जबकि जिलाधीश काँगड़ा के पत्र संख्या–2/SDM-MC दिनाँक 10.1.11 द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि उक्त कर्मचारी को बकाया वेतन की राशि का भुगतान कर्मचारी की Representation की दिनाँक से किया जाए। इस सन्दर्भ में जाँच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी की Representation दिनाँक 20.8.10 को की गई है जिससे स्वतः प्रतीत होता है कि उक्त कर्मचारी को दिनाँक 20.8.10 से ही बकाया राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को केवल मात्र ₹7260 का ही भुगतान देय बनता था जबकि उक्त कर्मचारी को ₹36630/– का भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹36630–₹7260=₹29370 का अधिक भुगतान किया। अतः अधिक भुगतान की गई ₹29370/– को अविलम्ब वसूल करके इस निधि में जमा किए जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

14 रोकड़ बही उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अवधि 9/06 से 4.12.07 की रोकड़ बही अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस कारण उक्त अवधि में प्राप्त आय व व्यय की पूर्ण सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251 दिनाँक 29.9.11 द्वारा सचिव एवं उप–मण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर को अवगत करवाया गया जिसके प्रतिउत्तर उनके पत्र संख्या 770 दिनाँक 1.10.14 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अवधि की रोकड़ बही दिनाँक 5.12.07 को कार्यालय में लगी आग में जल चुकी है जिसकी सूचना पुलिस विभाग को दी चुकी है व पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0नं0–370 दिनाँक 5.12.07 द्वारा मामला दर्ज कर लिया है। रोकड़ बही के अभाव में सोसाईटी द्वारा इस अवधि की वित्तीय स्थिति भी बैंक पास बुक से तैयार की गई है।

15 रसीदों को जाँच में प्रस्तुत न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा चयनित मासों की वसूलियों से सम्बन्धित रसीदें/पुस्तकें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में अंकेक्षण द्वारा रोकड़ बही में दर्ज की गई आय का सत्यापन चयनित मासों में बैंक में जमा करवाई गई राशियों से सम्बन्धित स्क्रोल के साथ किया गया। अतः सम्बन्धित रसीदें/अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

16 बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः–

माह 3/06 से सम्बन्धित वाऊचर संख्या 3 द्वारा ₹8093/– का भुगतान मै0 पिंकी फर्नीचर हाउस नूरपुर को किया गया दर्शाया गया है, परन्तु उक्त बिल/वाउचर को अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में व्यय की गई राशि की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वाँछित अभिलेख को ढूंढ़कर सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

17 वेतन बिल व हाजरी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कुमारी सुमन, डाटा एन्ट्री आपरेटर, अब कम्पयूटर आपरेटर (अनुबन्ध आधार) के निम्न माह के वेतन बिल व हाजरी रजिस्टर आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए जिसके अभाव में उनको किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि न तो उक्त कर्मचारी के वेतन बिल तैयार किए गए है व न ही उक्त कर्मचारी की हाजरी लगाई जाती है जोकि गम्भीर मामला है। अतः बिना वेतन बिल व हाजरी के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

माह	वेतन भुगतान राशि
3/06	2500
8/06	2500
5/07	3100
7/08	4400
4/09	4400
4/10	4850
10/11	6050
7/12	6655
3/14	9584

18 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) नूरपुर को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) नूरपुर से केन्द्रीय ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणीः—** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **सारः—** लेखों के रख—रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)23/2014खण्ड—1—758—762 दिनांक, 9.02. 2015. शिमला—09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश काँगड़ा जिला काँगड़ा (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला—03

4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला—02

5 श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.